

## मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, जमशेदपुर।

(झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 426 एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम 2007 की कंडिका 7.1 के तहत भवन प्लान की स्वीकृति)

परमिट संख्या:- 110 / 112

दिनांक 31/10/12

सेवा में,

श्री मुकेश कुमार (श्री विनोद कुमार अग्रवाल, डूप्लेक्स नं०-20, आस्था हाईटेक सिटी, सोनारी के पावर ऑफ अटार्नी धारक)  
पिता- श्री आनन्द किशोर सिंह, 90 हरिहर नाथ कॉलोनी, मानगो।


महाशय,

प्लॉट संख्या:- 457 a,b खाता संख्या:-563, मौजा:- बालीगुमा, वार्ड नं०-10 पर भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में **Ground Floor (Parking + 6 Nos. Shop) + 4<sup>th</sup> Floor (Residential -32 Nos. Flat) Height:-14.90 M,** भवन के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है:-

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जब तक इसकी विधिवत स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
3. निर्माण के गुणवत्ता झारखण्ड भवन निर्माण विभाग/भारतीय मानक/भारतीय भवन संहिता की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रुपाकण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापितधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगी।
4. भूखण्ड के सामने चहारदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था पेवमेन्ट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार करना होगा।
5. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना मानगो अ.क्षे.स. कार्यालय को देनी होगी तथा प्लॉट/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
6. निर्माणकर्ता को अपार्टमेन्ट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. निर्माणकर्ता को निजी ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में घ्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
8. प्रमण्डलीय अग्निशामन पदाधिकारी के पत्रांक-339 दिनांक-12/10/2012 द्वारा दिए गए अग्निशामन सुझाव का पालन सुनिश्चित करना होगा।
9. प्रत्येक तल पर समुचित क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा। अग्निशामक विभाग द्वारा कभी कोई विशेष निर्देश दिया जाता है तो उसका पालन करना होगा।
10. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging तथा Recycling of Waste Water का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
11. भवन निर्माण में 50 प्रतिशत फ्लाई एश ब्रिक्स का प्रयोग करना होगा।
12. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अ.क्षे.स. को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किए बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
13. मानगो बिल्डिंग बाई लॉज 2007 एवं झारखण्ड अपार्टमेन्ट अधिनियम 2005 में वर्णित अन्य सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
14. भवन निर्माण के दौरान मानगो अ.क्षे.स. द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
16. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल, एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
17. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक लगाना अनिवार्य है।
18. भवन प्लान की स्वीकृत प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापितधारी अभियंता को उपरोक्त शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।

  
सहायक अभियंता

मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति  
जमशेदपुर।

  
विशेष पदाधिकारी  
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति  
जमशेदपुर।